निस- 29233

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट नं0 01, सेक्टर नॉलेज पार्क–4,
ग्रेटर नोएडा

पत्रांक : ग्रेनो / बिल्डर्स / 2022 / 1096
दिनांक : 25 अप्रैल, 2022

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण में वर्तमान में बिल्डर्स परियोजनाओं के बायर्स (Sub Lessee/End User) के फ्लैट्स / भवनों के सापेक्ष बंधक अनुमति (Mortgage Permission) जारी की जाती है ।

उक्त बंधक अनुमति बायर्स (Sub Lessee/End User) को फ्लैट / भवन को क्रय / मरम्मत हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु जारी की जाती है । बड़ी संख्या में बायर्स (Sub Lessee/End User) प्राधिकरण में उपस्थित होकर अपनी सम्पत्ति के सापेक्ष अन्य आवश्यकताओं, जैसे व्यवसाय लोन, शिक्षा लोन, बच्चों की शादी हेतु लोन आदि के लिये अपनी आवंटित फ्लैट्स / भवनों को वित्तीय संस्थान के पक्ष में सिक्यूरिटी के रूप में रखने हेतु अनुप्रासंगिक (Collateral) बंधक अनुमति जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं, परन्तु नीति निर्धारित न होने के कारण आवंटियों को अनुप्रासंगिक (Collateral) बंधक अनुमति जारी नहीं की जा रही है ।

बिल्डर्स परियोजनाओं के माध्यम से बायर्स (Sub Lessee/End User) के पक्ष मे आवंटित फ्लैट्स / भवन / भूखण्ड का 100 प्रतिशत भुगतान बायर्स द्वारा सीधे बिल्डर कम्पनी को किया जाता है, तदोपरान्त ही बिल्डर कम्पनी उस भवन की लीजडीड निष्पादित करने हेतु अनुरोध करती है तथा तदानुसार भवन की त्रिपक्षीय सब लीजडीड निष्पादित करा दी जाती है । इस प्रकार भवन के सापेक्ष प्राधिकरण की कोई देयता बायर्स की तरफ नहीं रहती और न ही उन्हे भवनों को किसी प्रकार का कार्यपूर्ति लेना होता है ।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ प्राधिकरण की 126वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05.04.2022 के मद संख्या 126 / 4 में बिल्डर्स परियोजनाओं के बायर्स (Sub Lessee/End User) के पक्ष आवंटित फ्लैट्स / भवनों के सापेक्ष संलग्न प्रारूप पर अनुप्रासंगिक (Collateral) बंधक अनुमति जारी किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान कर दिया गया है । अतः बिल्डर्स परियोजनाओं के बायर्स (Sub Lessee/End User) के पक्ष आवंटित फ्लैट्स / भवनों के सापेक्ष संलग्न प्रारूप पर अनुप्रासंगिक (Collateral) बंधक अनुमति जारी की जाये ।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

(अदिति सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. सभी विभागाध्यक्ष

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

बिल्डर्स परियोजनाओं के बायर्स (Sub Lessee/End User) के पक्ष में आवंटित भवनों/भूखण्डों के सापेक्ष अनुप्रासंगिक (Collateral) बंधक अनुमति का प्रारूप

सेवामें,

श्री/श्रीमती ....
....
....

महोदय/महोदया,

कृपया अपने पत्र दिनांक .... का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपने मै0 .... के पक्ष में आवंटित बिल्डर्स भूखण्ड संख्या ...., सैक्टर .... के टॉवर संख्या .... भवन संख्या .... के सापेक्ष .... के पक्ष में अनुप्रासंगिक (Collateral) बंधक अनुमति जारी करने का अनुरोध किया है ।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार मै. .... के पक्ष मे आवंटित भूखण्ड संख्या ...., सैक्टर .... के टॉवर संख्या .... भवन संख्या .... के सापेक्ष .... के पक्ष में लीजडीड/सब लीजडीड में उल्लेखित नियम व शर्तों के अधीन अनुप्रासंगिक (Collateral) बंधक अनुमति जारी की हाती है ।

भवदीय

प्रबन्धक (बिल्डर्स)